दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स/स्कीमों के पुनर्विकास" पर परामर्श के लिए हितधारकों (स्टेकहोल्डर) की भागीदारी आमंत्रण हेतु।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स/स्कीमों के पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्रवाई कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)–2021, एकीकृत भवन उप–विधि (यूबीबीएल), संबंधित नगर निगम विनियमों और लागू नियमों के अनुपालन के साथ मौजूदा निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक रूप से समावेशी परिणाम सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित, अनुकूल और किफायती पुनर्विकास को सुदृढ़ बनाना है।

इस संदर्भ में, डीडीए द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों (सीजीएचएस), डेवलपर्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), सरकारी संस्थाओं और अन्य इच्छुक हितधारकों के प्रतिनिधियों को सुव्यवस्थित परामर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हितधारक परामर्श (स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन) **11 दिसंबर, 2025, गुरूवार** को डीडीए नीलामी हॉल, भूतल, डी–ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली 110023 में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा :

क्र.सं	निम्नलिखित के प्रतिनिधि*	समय
1.	कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज (सीजीएचएस)	पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:30 बजे तक
2	डीडीए द्वारा विकसित ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलेक्स	पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
3	सरकारी एजेंसियों/पीएसयू द्वारा विकसित ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलेक्स	दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

***भाग लेने वाली सोसायटी अथवा समूह के अधिकतम दो प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाएगी।**

दिल्ली मास्टर प्लान – 2021 के अनुसार लागू योजना मानदंडों के साथ पुनर्विकास नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध होगी : **https://dda.gov.in/public_notice.**

आयुक्त (योजना)

@ddaofficial @official_dda @official_dda_ पर हमें फॉलो करें

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें